

भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2545
उत्तर देने की तारीख 10 मार्च, 2021

डिजिटल अवसंरचना

2545. श्री बी.वाई राघवेन्द्र, श्री नलीन कुमार कटील, श्री डी.के. सुरेश, श्रीमती सुमलता अम्बरीश:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत की डिजिटल अवसंरचना फास्ट ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकी का समर्थन करने के लिए चीन, यूएस, दक्षिण कोरिया, जापान आदि के समतुल्य है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ख) क्या राष्ट्रीय डिजिटल सूचना नीति (एनडीसीपी) का प्रस्ताव देश की डिजिटल अवसंरचना को मजबूत बनाकर उक्त देशों की अवसंरचना के समतुल्य बनाने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने एनडीसीपी के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इसके अंतर्गत लक्ष्यवार क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं; और
- (घ) क्या सरकार 2022 तक दस मिलियन वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने के लिए कोई विशेष प्रयास कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

संचार, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
(श्री संजय धोत्रे)

(क), से (ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 की शुरूआत सर्वव्यापी, लचीली, सुरक्षित, सुलभ तथा वहनीय डिजिटल संचार अवसंरचना की स्थापना करके नागरिकों और उद्यमों की सूचना और संचार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा चीन, अमरीका, दक्षिण कोरिया, जापान आदि जैसे डिजिटल रूप से विकसित राष्ट्रों के समान उच्च गति वाली ब्रॉडबैंड प्रौद्योगिकियों का समर्थन करने के उद्देश्य से की गई थी। इस नीति का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त अर्थव्यवस्था तथा समाज में बदलाव करने में सहायता प्रदान करना है।

इस लक्ष्य को सभी के लिए ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने; डिजिटल संचार क्षेत्र में 4 मिलियन अतिरिक्त रोजगार का सृजन करने; भारत के सकल घरेलू उत्पाद में डिजिटल संचार क्षेत्र के योगदान को 8 प्रतिशत तक बढ़ाने जो कि वर्ष 2017 में लगभग 6 प्रतिशत था; भारत को आईटीयू की आईसीटी विकास सूची में शीर्ष 50 देशों में शामिल करने जो कि वर्ष 2017 में 134वें स्थान पर था; ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत के योगदान को बढ़ाने; डिजिटल सुप्रभुता को सुनिश्चित करने के कार्यानीतिक उद्देश्यों को हासिल करके प्राप्त किया जाएगा। अभी तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(घ) इस समय देश भर में लगभग 5 लाख वाई-फाई अभिगम (केन्द्र) कार्य कर रहे हैं। सरकार ने सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के माध्यम से ब्रॉडबैंड के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए ‘‘प्रधानमंत्री वायरलेस (एक्सेस) नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी)’’ फ्रेमवर्क अनुमोदित की है। इस फ्रेमवर्क में उद्यमियों द्वारा सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉटों की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है।

क्र.सं.	राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 के कार्यनीतिक उद्देश्य और उसकी उपलब्धियां												
1	<p>सभी के लिए ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराना:</p> <p>सरकार ने सभी के लिए ब्रॉडबैंड की वहनीय और सार्वभौमिक उपलब्धता के लिए राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन की शुरुआत की है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारतनेट, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना (सीटीडीपी), द्वीपसमूहों के लिए सीटीडीपी, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार टावर उपलब्ध कराने जैसी विभिन्न सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) परियोजनाओं और स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।</p>												
2	<p>डिजिटल संचार क्षेत्र में 4 मिलियन अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना:</p> <p>सरकार और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा की गई पहल से देश के सुदूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में ई-वाणिज्यिक, दूरसंचार प्रचालन, केबल टीवी प्रचालन आदि जैसे आर्थिक कार्यकलापों को प्रोत्साहन, मिला है। इसके परिणामस्वरूप अनेक रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है। हाल ही में अनुमोदित किए गए पीएम-वाणी फ्रेमवर्क से इस प्रकार के आर्थिक कार्यकलापों को और बढ़ावा देगा तथा देश में रोजगार के अनेक अवसर सृजित होंगे एवं उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा।</p>												
3	<p>भारत के सकल घरेलू उत्पाद में डिजिटल संचार क्षेत्र के योगदान को 8 प्रतिशत तक बढ़ाना जो कि वर्ष 2017 में लगभग 6 प्रतिशत था:</p> <p>डिजिटल संचार देश में वृहत आर्थिक कार्यकलापों को संचालित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र ने ई-वाणिज्यिक, वित्त प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, शिक्षा प्रौद्योगिकी, कृषि प्रौद्योगिकी, शहरी प्रौद्योगिकी आदि में सेवाओं का लाभ उठाने में महत्वपूर्ण प्रोत्साहन दिया है। सरकार द्वारा नागरिकों और उद्यमियों को दूरसंचार के माध्यम से विशेषकर महामारी के बाद मुख्यतः प्रमुख सेवाओं की आपूर्ति की जा रही है। इन सेवाओं के उपयोग के परिणामस्वरूप देश में वायरलेस डाटा खपत में 5 गुणा वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से, 4 वर्षों में औसत प्रति जीवी टैरिफ में लगभग 95 प्रतिशत की कमी आई है।</p>												
4	<p>भारत को आईटीयू की आईसीटी विकास सूची में शीर्ष 50 देशों में लाना जो कि वर्ष 2017 में 134वें स्थान पर था:</p> <p>आईटीयू द्वारा आईसीटी विकास सूची को पिछली बार वर्ष 2017 में प्रकाशित किया गया था। तब से अभी तक इसका प्रकाशन नहीं किया गया है।</p>												
5	<p>ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत के योगदान को बढ़ाना:</p> <p>ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत के योगदान को बढ़ाना सतत प्रक्रिया है। भारत को प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए परीक्षण और अनुसंधान हेतु स्पेक्ट्रम लाइसेंसिंग मानकों को उदारकृत करने, स्वदेशी ओईएम हेतु आयात लाइसेंस अपेक्षाओं का सरलीकरण करने जैसे कई कदम उठाए गए हैं।</p> <p>वर्ष 2017-18 की तुलना में, दूरसंचार उपकरण (मोबाइल फोन, पुर्जों तथा दूरसंचार केबल) के आयात में कमी आई है तथा नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार निर्यात निरंतर रूप से बढ़ा है जिसके परिणामस्वरूप ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत का योगदान बढ़ा है:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>निर्यात* (करोड़ रूपए में)</th> <th>आयात* (करोड़ रूपए में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017-18</td> <td>11,023</td> <td>1,49,546</td> </tr> <tr> <td>2018-19</td> <td>22,583</td> <td>1,33,585</td> </tr> <tr> <td>2019-20</td> <td>37,963</td> <td>1,06,195</td> </tr> </tbody> </table> <p>*स्रोत: वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय</p>	वर्ष	निर्यात* (करोड़ रूपए में)	आयात* (करोड़ रूपए में)	2017-18	11,023	1,49,546	2018-19	22,583	1,33,585	2019-20	37,963	1,06,195
वर्ष	निर्यात* (करोड़ रूपए में)	आयात* (करोड़ रूपए में)											
2017-18	11,023	1,49,546											
2018-19	22,583	1,33,585											
2019-20	37,963	1,06,195											
6	<p>डिजिटल संप्रभुता को सुनिश्चित करना:</p> <p>भारतीय तार अधिनियम-1885 तथा इसके तहत बनाए गए भारतीय तार नियम में संचार की गोपनीयता, निजता तथा गुप्तता को सुरक्षित रखने के प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा दूरसंचार नेटवर्क पर संचार की निजता तथा गोपनीयता को सुरक्षित रखने के लिए एकीकृत दूरसंचार लाइसेंस में उचित शर्तों को शामिल किया गया है।</p>												

<p>सुरक्षा परीक्षण रूपरेखा को दूरसंचार उपकरण के अनिवार्य परीक्षण तथा प्रमाणन (एमटीसीटीई) की समग्र रूपरेखा के अधीन रखा गया है।</p> <p>सरकार ने हाल ही में 'दूरसंचार क्षेत्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा निदेश' अधिसूचित किए हैं जिनमें दूरसंचार क्षेत्र के लिए भरोसेमंद स्रोत और भरोसेमंद उत्पादों को चिन्हित करने की परिकल्पना की गई है।</p>
